कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैकुण्ठपुर जिला–कोरिया(छ0ग0)

New District Court Chinddand, Baikunthpur, Koriya
Phone No. 07836-299019 E-mail - dlsa.koria@gmail.com

// विविध आदेश //

क्रमांकः– 40 / जि.वि.से.प्रा. / 2024 बैकुण्ठपुर, दिनांक 20 / 05 / 2024

एतद् द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का ईमेल पत्र क्रमांक/ F.N.L./20/2019- NALSA fnukad 11-02-2023 ,oa F.N.L./20/2019- NALSA dated 14-02-2023 एवं लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम 2022 के प्रावधानों के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में स्थापित लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कार्यालय हेतु स्टाफ (Human Resources/Main Power- Office Assistant, Receptioninst-cum Date Entry Operator & Office Peon(Munshi/Attendent) की नियुक्त छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के पत्र क्रमांक / 1328 / LADCS-23/2024 बिलासपुर दिनांक 03.05.2024 के द्वारा जारी दिशा–निर्देश एवं बिन्दु क्रमांक 01 से 07 तक में उल्लेखित मापदण्डों के अनुरूप चयनित स्टाफ के द्वारा अनुबंध दिनांक 17.05.2024 से दिनांक 30.04. 2025 तक अवधि के लिये, पूर्णतया संविदात्मक नियुक्ति की जाती है :–

क्रं	पदनाम	अभ्यर्थी का नाम /पिता का नाम
01	आफिस असिस्टेंट / क्लर्क	01. श्री कौशल दास मानिकपुरी पिता श्री पुनीत लाल मानिकपुरी
02	रिसेप्सिनिस्ट–कम–डाटा–एन्ट्री आपरेटर	01 श्री संतोष साहू पिता स्व0 श्री महिपाल साहू
03	आफिस प्यून (मुंशी / अटेन्डेट)	01 श्री अंनत लाल पिता श्री कवल साय

शर्ते :–

1. लीगल एड डिफेंस कौसिल कार्यालय हेतु कार्यालय सहायक, रिसेप्शनिस्ट कम डॉटा एन्ट्री आपरेटर, कार्यालय भृत्य / मुंशी पद के स्टाफ की पूर्णतया संविदात्मक नियुक्तिहै, जिनका कार्यकाल /कार्यवधि नालसा के दिशा–निर्देश के अनुसार ही निर्धारित किया जावेगा। वर्तमान में एक वर्ष की लिये अर्थात् द्वारा अनुबंध दिनांक 17.05.2024 से दिनांक 30.04.2025 तक की अवधि के लिये नियुक्त किया जाना है।

2. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के पत्र क्रमांक 1730 / एल.ए.डी.सी. एस. / 2023 बिलासपुर दिनांक 26.06.2023 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यालय कलेक्टर (जिला योजना एवं सांख्यिकी) बैकुण्ठपुर जिला कोरिया (छ0ग0) का वर्ष 2021 का अनुमानित नगरीय जनसंख्या 28431 होने के कारण क्लास – सी इस जिले के लिये लागू होगी। विवरण निम्नानुसार हैः–

नालसा द्वारा निर्धारित		
S.No.	Particulars	Honorarium
1	Office Assistant/ Clerks	Rs 15000/-
2	Receptionist-cum Data-Entry Operator	Rs 12000/-
3	Office Peon(Munshi/Attendent)	Rs. 9000/-

03. यदि कोई स्टाफ पदभार ग्रहण नहीं करता है या पदभार ग्रहण करने के पश्चात् अपने पद से त्याग पत्रा दे देता है, तो उस स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा वरीयता सूची के अनुसार, उक्त पदों हेतु पृथक–पृथक तैयार की गई प्रतीक्षा सूची में से वरीयता के आधार पर इस प्राधिकरण के द्वारा अनुमोदन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर को प्रेषित किया जावेगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन पश्चात् उक्त स्टाफ की नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही इस प्राधिकरण के द्वारा की जावेगी।

04. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उक्त पदों हेतु, वरीयता के आधार पर तैयार की गई चयन सूची व प्रतीक्षा सूची का अनुमोदन उपरांत, उक्त प्रतीक्षा सूची को दिनांक 30.04.2025 तक प्रभावशील मानी जावेगी।

05. लीगल एड डिफेंस कौसिल सिस्टम कार्यालय हेतु नियुक्त स्टाफ के द्वारा नालसा के पत्र क्रमांक एल/20/2019 – नालसा दिनांक 24 अगस्त, 2022 के साथ संलग्न दिशा–निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा, तथा उसी के अनुसार नियुक्त स्टाफ की सेवा समाप्त की जा सकेगी। साथ ही नालसा का पत्र कमांक एल/20/2019 नालसा दिनांक 11.02.2023 एवं पत्र क्रमांक/ एफ.एन.एल./20/2019– नालसा दिनांक 14.02.2023 एवं लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम, संशोधित स्कीम 2022 के प्रावधानों के अधीन निर्धारित किये गये कार्यो को, नियुक्त किये गये स्टाफ कार्य संपादित करेंगे, यदि कार्य संतोषजनक नहीं होने पर, अथवा कर्तव्य पर बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने हैं तथा आपराधिक/ राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्तता पाये जाने पर भी, ऐसे स्टाफ की सेवायें बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जावेगी।

06. लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम, 2022 मे प्रावधानित अनुसार लीगल एड डिफेंस कौसिल कार्यालय के कार्य हेतु निर्धारित आचार संहिता का पालन अनिवार्यतः करेंगे।

07. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/एफ.नं. /एल–27/2022–नालसा (पार्ट–फाइल) /4678–4714 दिनांक 27 मार्च 2024 के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। जिसके अनुसार लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कार्यालय हेतु नियुक्त स्टाफ के संविदात्मक अनुबंध की शर्तो का पालन सुनिश्चित करने हेतु कोई भी स्टाफ उक्त पदों पर सरकारी, वेतन, भत्ते या अनुलाभों को नियमित किये जाने अथवा नियमित वेतनमान प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेगा।

(भीष्म प्रसाद पाण्डेय)
जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (छ.ग.)

पृ.क्र./ 19 /जिविसेप्रा/2024/ बैकुण्ठपुर, दिनांक– 20.05.2024

प्रतिलिपि :–

01. मान. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

02. श्री कौशल दास मानिकपुरी पिता श्री पुनीत लाल मानिकपुरी निवासी ग्राम–रतनपुर

पो0कंदरई जिला–सूरजपुर (छ.ग.)।

03. श्री संतोष साहू पिता स्व0 श्री महिपाल साहू निवासी ग्राम–सागरपुर झुमका रोड पो0 बैकुण्ठपुर जिला–कोरिया (छ0ग0)।

04. श्री अंनत लाल पिता श्री कवल साय निवासी ग्राम–कुडेली पो0 सरभोका वि0ख0 बैकुण्ठपुर जिला–कोरिया (छ.ग.) ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया चयनित स्टॉफ को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश जारी दिनांक के एक सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से मूल दस्तावेज सहित पदभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा प्रतीक्षा सूची में अंकित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण किए जाने हेतु आहूत किया जा सकेगा।

(माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

(श्रीमती अमृता दिनेश मिश्रा)
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बैकुण्ठपुर, जिला – कोरिया (छ.ग.)